(108)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी R 3142-II/14

दिनांक 17-9-14 को श्री के०डी०-दीक्षित अभि० प्रस्तुत।
17-9-14

१- जगमोहन | पुत्रगण जगन्नाथ
२- कल्याण सिंह |
निवासीगण सेवढ़ा, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया-म०प्र० ।

------ प्रार्थीगण

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन,
२- समस्त मुस्लिम समाज व्दारा ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी,सेवढ़ा, जिला दतिया ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश तहसीलदार महोदय सेवढ़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश प्र०क्र० १०८/अ-१२/१३-१४ आदेश दिनांक १६-७-१४, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण न तो विधिवत सीमांकन की कार्यवाही ही की गई है और न विधिवत जांच ही की गई है ।

३- यह कि, प्रार्थीगण को हितबध्द होते हुये भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है ।

४- यह कि, धारा १२९ के प्रावधानों का भी वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया गया है ।

क्रमशः:---२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3142–दो/2014 जिला–दतिया

जगमोहन व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार सेवढ़ा, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 108/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सेवड़ा, जिला–दतिया को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 31/5/19 सदस्य	